रानिया ब्रैच कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

(एम. एम. कुमार जे.)

एम. एम. कुमार, अजय कुमार मित्तल

और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जेजेजे से पहले।

रानिया ब्रैच कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड

और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य, का उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. No.9421-2011

03 अप्रैल, 2012

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-मोटर वाहन अधिनियम, 1988-S.100 (1) (4)-राज्य ने 11 मार्च, 2010 की अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक राजपत्र में प्रस्ताव प्रकाशित किया था जो दिनांकित 3.11.1993 और 19.01.2001 की पिछली अधिसूचनाओं के दमन में था-पूरी योजना प्रकाशित नहीं हुई थी- 11 मार्च, 2010 की अधिसूचना में किए गए कुछ संशोधनों पर प्रकाशित अंतिम योजना-रिट याचिका में चुनौती कि योजना समाप्त हो गई थी-चुनौती को बरकरार रखा गया-माना गया कि योजना समाप्त हो गई थी क्योंकि यह एक वर्ष के बाद प्रकाशित हुई थी अर्थात कुछ संशोधनों के साथ शुद्धिपत्र का प्रकाशन मसौदा योजना के प्रकाशन के बराबर नहीं होगा।

अभिनिर्धारित किया कि इन याचिकाओं में उठाए गए विवाद को निपटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अधिनियम की खंड 100 की उप-खंड (4) है। महत्वपूर्ण रूप से यह 'गैर-अस्थिर' खंड के साथ शुरू होता है जिसमें 'बावजूद' अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है।दूसरे शब्दों में यह एक प्रबल प्रभाव प्रदान करता है और अभिनिर्धारित करता है कि यदि कोई योजना उप-धारा (3) के तहत अनुमोदित योजना के रूप में, उप-धारा (1) के तहत आधिकारिक राजपत्र में योजना के संबंध में प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से महत्वपूर्ण रूप से एक वर्ष की अवधि के भीतर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जाती है, तो प्रस्ताव को व्यपगत माना जाना चाहिए।इस प्रावधान में समाचार पत्र या शुद्धिपत्र आदि में योजना के प्रकाशन की तारीख को हटा दिया गया है। स्पष्ट रूप से गैर-अस्थाई प्रावधान में आधिकारिक राजपत्र में योजना से संबंधित प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की गणना का प्रावधान है और कोई और नहीं।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब 'इस खंड में कुछ भी निहित होने के बावजूद' जैसे प्रारंभिक शब्द उत्पन्न होंगे, तो यह उस खंड में किसी अन्य प्रावधान के अनुप्रयोग को बाहर करता है।

(पैरा 8)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की खंड 100 की उप-खंड (4) के प्रावधान उस खंड के किसी अन्य प्रावधान से प्रभावित नहीं हैं।इसके बाद एक वर्ष की अवधि आधिकारिक राजपत्र में योजना से संबंधित प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से शुरू होनी है।(पैरा 10) ने आगे कहा कि उस योजना को 11.3.2010 (P-1) पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और अंतिम योजना को 3.5.2011 (P-4) पर प्रकाशित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से एक वर्ष के बाद है।11.3.2010 (P-1) की अधिसूचना में कुछ संशोधनों के साथ 4.5.2010 (P-2) पर शुद्धिपत्र का प्रकाशन मसौदा योजना के प्रकाशन के बराबर नहीं होगा।उसी दिन 'समाचार पत्रों' में इसके प्रकाशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।इस बार पूरी योजना प्रकाशित नहीं की गई थी और आधिकारिक राजपत्र में केवल योजना के उद्धरण शामिल थे।अंतिम योजना 3.5.2011 (P-4) पर प्रकाशित की गई थी।खंड 100 (4) के साथ पठित खंड 99 की सरल भाषा में, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि एक वर्ष की अवधि 4.5.2010 पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित शुद्धिपत्र की तारीख से शुरू होगी।सबसे पहले, शुद्धिपत्र ने योजना के केवल 'अंश' प्रकाशित किए।दूसरा, श्री हुड्डा द्वारा किया गया निवेदन स्वीकार्य नहीं है जब उन्होंने तर्क दिया कि 'समाचार पत्रों' में योजना से संबंधित प्रस्ताव के प्रकाशन के बाद आपत्तियां आनी शुरू हो गईं क्योंकि अधिनियम की खंड 100 (1) के तहत, आधिकारिक राजपत्र में खंड 99 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर एक आक्षेपकर्ता द्वारा आपत्तियां दायर की जानी हैं।इसमें समाचार पत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख और उस तारीख से तीस दिनों की गिनती की बात नहीं की गई है।इसलिए, इस तर्क में कोई सार नहीं है और हमें इसे अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

(पैरा 11)

आगे कहा कि हम मानते हैं कि सरकारी राजपत्र में प्रकाशित योजना, दिनांक 3.5.2011, समाप्त हो गई है।उसी के अनुसार अलग रखा जाता है।हम आगे अत्यंत सम्मान के साथ मानते हैं कि परवीन कुमार के मामले (उपरोक्त) में खण्ड पीठ सही कानून निर्धारित नहीं किया क्योंकि उसने अधिनियम की खंड 100 (4) के विभिन्न पहलुओं पर विचार नहीं किया।

(पैरा 12)

रानिया ब्रैच कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

(एम. एम. कुमार जे.)

एम. एस. खैरा, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह रंधावा, अधिवक्ता

एच. एस. साहनी, अधिवक्ता बी. एस. गिरि के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता

अनमोल रतन सिद्धू, वकील अवतार सिंह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताएन. के. मल्होत्रा, अधिवक्ता

एल. आर. शर्मा, अधिवक्ताराजिंदर शर्मा, अधिवक्ताइंदर पाल गोयत, अधिवक्ताविकास सिंह, अधिवक्ता

श्री एच. एस. हुड्डा, महाधिवक्ता हरियाणा, श्री गगनदीप वासु, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ।ए. जी., हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

एम. एम. कुमार जे.

(1) याचिकाओं के इस समूह में इस पूर्ण पीठ को संदर्भित कानून का एक छोटा सवाल यह है कि क्या परिवहन योजना, जैसा कि अंत में 3.5.2011 पर अधिसूचित याचिका 2, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की खंड 100 की उप-खंड (1) और (4) के प्रावधानों (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रस्ताव की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर प्रकाशित की गई है।खण्ड पीठ द्वारा दिनांकित संदर्भ आदेश 21.9.2011 निम्नानुसार हैः

" श्री एच. एस. हुड्डा, विद्वान महाधिवक्ता हरियाणा ने इस न्यायालय के एक खण्ड पीठ के फैसले को हमारे संज्ञान में लाया है। परवीन और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में और अन्य (2011 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14777,12.08.2011 पर तय किया गया), जो दिनांकित 03.05.2011 की अधिसूचना/योजना को बरकरार रखता है।उपरोक्त योजना भी तत्काल याचिकाओं में चुनौती का विषय है।याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया प्रमुख तर्क यह है कि योजना को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 100 की खंड (1) के तहत आधिकारिक राजपत्र में योजना के संबंध में प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम'), जिसमें विफल रहने पर प्रस्ताव को व्यपगत माना जाएगा।

खंड 4 अधिनियम की खंड 100 की शुरुआत 'बावजूद' अभिव्यक्ति का उपयोग करके गैर-बाध्यकारी खंड के साथ होती है।इसके अलावा, अधिनियम की धारा 100 की खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष के भीतर योजना की अधिसूचना के प्रभाव के संबंध में उपरोक्त मुद्दे पर परवीन कुमार के मामले (उपरोक्त) में खण्ड पीठ द्वारा विचार नहीं किया गया है।इसलिए, बड़ी पीठ को निर्देश देना उचित और उचित होगा ताकि इस मुद्दे पर विचार किया जा सके और खण्ड पीठ के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सके।"

(2) मूल प्रश्न का निर्णय करने के लिए कुछ तथ्यों की आवश्यकता होगी।प्रतिवादी राज्य हरियाणा ने अधिसूचना सं। एस. ओ. 46/C.A.59/1988/S.99/2010, दिनांक 11.3.2010 (पी-1) ने अधिनियम की खंड 99 के प्रावधानों के अनुपालन में आधिकारिक राजपत्र में एक प्रस्ताव प्रकाशित किया, जो दिनांक 3.11.1993 और 19.1.2001 की पिछली अधिसूचनाओं के स्थान पर था।हालाँकि, दो महीने बाद, आधिकारिक राजपत्र में पूरी योजना को प्रकाशित किए बिना, 11.3.2010 की अधिसूचना में कुछ संशोधन 4.5.2010 (P-2) पर प्रकाशित किए गए।यह उल्लेख करना उचित है कि दिनांकित 4.5.2010 अधिसूचना में केवल योजना के उद्धरण थे जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे।कानून के प्रावधानों के अनुसार, आपत्तियां प्राप्त हुईं और योजना को 3.5.2011 (पी -4) अधिनियम की खंड 100 की उप-खंड (2) के प्रावधानों के अनुसरण में। इन तथ्यों और परिस्थितियों में यह बताया गया है कि 3.5.2011 (P-4) पर प्रकाशित अंतिम योजना अधिसूचना दिनांक 11.3.2010 (P-1) जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि से अधिक है।प्रतिवादी राज्य ने जोर देकर कहा है कि एक वर्ष की अवधि को 4.5.2010 (P-2) पर प्रकाशित संशोधन की तारीख से गिना जाना है।

(3) याचिकाकर्ता (गण) के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. एस. खैरा, श्री एच. एस. साहनी, डॉ. अनमोल रतन सिद्धू, श्री एन. के. मल्होत्रा, श्री एल. आर. शर्मा, श्री राजिंदर शर्मा, श्री इंदर पाल गोयत और श्री विकास सिंह ने प्रस्तुत किया है कि योजना वास्तव में समाप्त हो गई है और इसे 10.3.2011 के बाद प्रकाशित नहीं किया जा सकता था।उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की खंड 100 (4) की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार, एक वर्ष की अवधि आधिकारिक राजपत्र में 'मसौदा योजना' के प्रकाशन की तारीख से शुरू होनी चाहिए।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, बाद में समाचार पत्रों में 'मसौदा योजना' के प्रकाशन का एक वर्ष की अवधि की गणना के लिए कोई असर नहीं होगा क्योंकि खंड 100 (4) आधिकारिक को छोड़कर 'मसौदा योजना' के प्रकाशन के किसी अन्य तरीके को स्वीकार नहीं करती है।

विद्वान वकीलों ने अधिनियम की खंड 100 की उप-खंड (4) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और तर्क दिया है कि विधायिका ने अवधि की गणना को किसी भी उचित संदेह से परे रखा है और एक वर्ष की अवधि की गणना आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से की जानी है।इसलिए, समाचार पत्रों में शुद्धिपत्र या प्रकाशन पूरी तरह से महत्वहीन है।

(4) श्री एच. एस. हुड्डा, विद्वान महाधिवक्ता हरियाणा ने हालांकि तर्क दिया है कि सबसे पहले 'आईडी1' पर प्रकाशित 'मसौदा योजना' को खंड 99 के अर्थ के भीतर प्रकाशन के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह राज्य पर बाध्यकारी था कि वह खंड 99 की आवश्यकता के अनुसार 'मसौदा योजना' को एक स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करे।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशन 4.5.2010 पर किया गया था और 'मसौदा योजना' को उस तारीख को पहली बार प्रकाशित किया गया माना जाना चाहिए।विद्वान महाधिवक्ता ने कहा है कि यदि समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख को सीमा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है तो इसका कोई उल्लंघन नहीं होता है।श्री हुड्डा ने आगे कहा कि समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद ही पक्षों द्वारा आपत्तियां आनी शुरू हुईं, जैसा कि इस मामले के रिकॉर्ड से स्पष्ट है।इस प्रकार, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की गणना करने से कोई ठोस लाभ नहीं होगा क्योंकि 11.3.2010 की अधिसूचना को अधिनियम की खंड 99 के तहत 'मसौदा योजना' का प्रकाशन नहीं माना जा सकता है। उन्होंने परवीन कुमार (परवीन सुप्रा) के मामले में योजना को बरकरार रखने वाले खण्ड पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है और तर्क दिया है कि अगर योजना को समाप्त घोषित किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तदनुसार, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए, जो योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है।(5) पक्षकारों की संबंधित दलीलों की सराहना करने के लिए, पहले अधिनियम की आदेश 99 और 100 को पढ़ना उचित होगा, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“99. राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना और प्रकाशित करना।-

(1) जहां किसी भी राज्य सरकार की राय है कि एक कुशल, पर्याप्त, किफायती और उचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, वह आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा है।

लोक हित में यह आवश्यक है कि किसी क्षेत्र या मार्ग या उसके हिस्से के संबंध में सामान्य रूप से या ऐसी सेवा के किसी विशेष वर्ग की सड़क परिवहन सेवाओं को राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाया और संचालित किया जाना चाहिए, चाहे वह अन्य व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक रूप से या अन्यथा अपवर्जित करने के लिए हो, राज्य सरकार प्रस्तावित सेवाओं की प्रकृति, प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग को शामिल करने और उसके संबंध में अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में एक प्रस्ताव तैयार कर सकती है और ऐसा प्रस्ताव राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करेगी और ऐसी योजना के दायरे में आने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग में प्रसारित क्षेत्रीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में और ऐसी अन्य तरीके से भी प्रकाशित करेगी जो राज्य सरकार ऐसा प्रस्ताव तैयार करती है।(2) उप-खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब उस उप-खंड के तहत कोई प्रस्ताव प्रकाशित किया जाता है, तो ऐसे प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से किसी भी व्यक्ति को प्रस्ताव विचाराधीनता रहने के दौरान अस्थायी परमिट के अलावा कोई परमिट नहीं दिया जाएगा और ऐसा अस्थायी परमिट इसके जारी होने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए या खंड 100 के तहत योजना के अंतिम प्रकाशन की तारीख तक, जो भी पहले हो, वैध होगा।100. प्रस्ताव पर आपत्ति।-

(1) राजपत्र में किसी योजना के संबंध में किसी प्रस्ताव के प्रकाशन पर और उस क्षेत्र या मार्ग में प्रसारित क्षेत्रीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में, जिसे इस तरह के प्रस्ताव द्वारा कवर किया जाना है, कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, राज्य सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकता है।(2) राज्य सरकार, आपत्तियों पर विचार करने के बाद और आक्षेपकर्ता या उसके प्रतिनिधियों और राज्य परिवहन उपक्रम के प्रतिनिधियों को मामले में सुनवाई का अवसर देने के बाद, यदि वे चाहते हैं, तो ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी या संशोधन कर सकती है।

(3) उप-धारा (2) के तहत अनुमोदित या संशोधित प्रस्ताव से संबंधित योजना तब ऐसी योजना बनाने वाली राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्र या मार्ग में प्रसारित क्षेत्रीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसके बाद वह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को अंतिम हो जाएगी और इसे अनुमोदित योजना कहा जाएगा और जिस क्षेत्र या मार्ग से यह संबंधित है उसे अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग कहा जाएगाःबशर्ते कि ऐसी कोई भी योजना जो किसी अंतर-राज्यीय मार्ग से संबंधित हो, तब तक अनुमोदित योजना नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसे केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी न हो।

(4) इस खंड में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई योजना उप-खंड (1) के तहत सरकारी राजपत्र में योजना के संबंध में प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सरकारी राजपत्र में उप-खंड (3) के तहत अनुमोदित योजना के रूप में प्रकाशित नहीं की जाती है, तो प्रस्ताव को व्यपगत माना जाएगा।स्पष्टीकरण।— इस उप-धारा में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि की गणना करने में, कोई भी अवधि या अवधि जिसके दौरान उप-धारा (3) के तहत अनुमोदित योजना का प्रकाशन किसी भी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी रोक या निषेधाज्ञा के कारण रुका हुआ था, को बाहर रखा जाएगा।"

(6) अधिनियम की खंड 99 (1) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र या मार्ग में राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा सड़क परिवहन सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करती है, तो उसे निर्दिष्ट विवरण देने वाली योजना के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है।योजना से संबंधित इस तरह के प्रस्ताव को व्यापक जनहित में होना चाहिए और आम जनता को कुशल, पर्याप्त, किफायती और उचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रदान करनी चाहिए।राज्य के आधिकारिक राजपत्र में इस तरह के प्रस्ताव को प्रकाशित करना अनिवार्य है।इसे क्षेत्रीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

अधिनियम की खंड 99 की उप-खंड (2) आगे यह स्पष्ट करती है कि प्रस्ताव विचाराधीनता रहने के दौरान अस्थायी परमिट के अलावा किसी भी व्यक्ति को कोई परमिट नहीं दिया जाना है।इस तरह का अस्थायी परमिट केवल एक वर्ष की अवधि के लिए या खंड 100 के तहत योजना के अंतिम प्रकाशन की तारीख तक, जो भी पहले हो, वैध है।

(7) अधिनियम की खंड 100 (1) में आधिकारिक राजपत्र में किसी भी प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष आपत्तियां दर्ज करने पर विचार किया गया है। तब राज्य सरकार संशोधन के साथ या ऐसे प्रस्ताव के किसी भी संशोधन के बिना प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन पर अंतिमता प्राप्त करेगी और फिर इसे अनुमोदित योजना कहा जाता है।जिस क्षेत्र या मार्ग से यह संबंधित है, उसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन 'अधिसूचित क्षेत्र' या 'अधिसूचित मार्ग' के रूप में जाना जाएगा, यदि योजना के अंतर-राज्यीय प्रभाव हैं।

(8) इन याचिकाओं में उठाए गए विवाद को निपटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अधिनियम की खंड 100 की उप-खंड (4) है। महत्वपूर्ण रूप से यह 'गैर-अस्थिर' खंड के साथ शुरू होता है जिसमें 'बावजूद' अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है।दूसरे शब्दों में यह एक प्रबल प्रभाव प्रदान करता है और अभिनिर्धारित करता है कि यदि कोई योजना उप-धारा (3) के तहत अनुमोदित योजना के रूप में, उप-धारा (1) के तहत आधिकारिक राजपत्र में योजना के संबंध में प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से महत्वपूर्ण रूप से एक वर्ष की अवधि के भीतर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जाती है, तो प्रस्ताव को व्यपगत माना जाना चाहिए।इस प्रावधान में समाचार पत्र या शुद्धिपत्र आदि में योजना के प्रकाशन की तारीख को हटा दिया गया है। स्पष्ट रूप से गैर-अस्थाई प्रावधान में आधिकारिक राजपत्र में योजना से संबंधित प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की गणना का प्रावधान है और कोई और नहीं।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब 'इस खंड में कुछ भी निहित होने के बावजूद' जैसे प्रारंभिक शब्द उत्पन्न होंगे, तो यह उस खंड में किसी अन्य प्रावधान के अनुप्रयोग को बाहर करता है।उदाहरण के लिए, 11 जजों की बेंच में एच एच महाराजाधिराज माधव राव के मामले में दिया गया निर्णय जीवाजी राव सिंधिया बहादुर बनाम भारत संघ (1), प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 363 की व्याख्या के संबंध में, जो उत्पन्न हुआ

(1) 1971 (1) एससीसी 85 879

रानिया ब्रैच कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

(एम. एम. कुमार जे.)

कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने से संबंधित है। यह प्रावधान 'गैर-अस्थाई' खंड के साथ खुलता है। 'इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद'।बहुमत से यह निम्नानुसार देखा गयाः

" अनुच्छेद 363 एक गैर-अस्थाई खंड है।यह एक संवैधानिक जनादेश है।अनुच्छेद 363 के प्रारंभिक शब्द "संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" संविधान के अन्य सभी प्रावधानों को उन विवादों में आकर्षित होने से बाहर करते हैं जो अनुच्छेद 363 के अंतर्गत आते हैं।....."

(9) इसी तरह, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2) के मामले में दिए गए एक अन्य 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में, संविधान के अनुच्छेद 253 के प्रावधान व्याख्या के लिए सामने आए, जिसमें एक 'गैर-अस्थाई' पीठ भी शामिल था।उनके प्रभुत्त्वों की प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैंः

"238. यह देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 253 में गैर-बाध्यकारी खंड है।इस प्रकार, अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद कार्य करता है। अनुच्छेद 246 संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियाँ 10 से 21 अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित हैं।इनमें से किसी भी प्रविष्टि के तहत कोई भी कानून बनाने में, संसद को अनुच्छेद 51 को ध्यान में रखना आवश्यक है।

239. संविधान के अनुच्छेद 253 में प्रावधान है कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि को प्रभावी बनाते समय, संसद राज्य विधानमंडल की भूमिका निभाती है और एक बार ऐसा करने के बाद राज्य की शक्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है।"

पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण समिति (3)।

(10) उपरोक्त चर्चा से जो आवश्यक परिणाम सामने आता है वह यह है कि अधिनियम की खंड 100 की उप-खंड (4) के प्रावधान उस खंड के किसी अन्य प्रावधान से प्रभावित नहीं हैं।इसके बाद एक वर्ष की अवधि आधिकारिक राजपत्र में योजना से संबंधित प्रस्ताव के प्रकाशन की तारीख से शुरू होनी है।

(2) 2004 (10) एस. सी. सी. 201

(3) 2010 (3) एस. सी. सी. 571

(11) वर्तमान मामले में योजना को आधिकारिक राजपत्र में 11.3.2010 (P-1) पर प्रकाशित किया गया था और अंतिम योजना को 3.5.2011 (P-4) पर प्रकाशित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से एक वर्ष के बाद है। 11.3.2010 (P-1) की अधिसूचना में कुछ संशोधनों के साथ 4.5.2010 (P-2) पर शुद्धिपत्र का प्रकाशन मसौदा योजना के प्रकाशन के बराबर नहीं होगा। उसी दिन 'समाचार पत्रों' में इसके प्रकाशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार पूरी योजना प्रकाशित नहीं की गई थी और आधिकारिक राजपत्र में केवल योजना के उद्धरण शामिल थे। अंतिम योजना 3.5.2011 (P-4) पर प्रकाशित की गई थी। खंड 100 (4) के साथ पठित खंड 99 की सरल भाषा में, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि एक वर्ष की अवधि 4.5.2010 पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित शुद्धिपत्र की तारीख से शुरू होगी। सबसे पहले, शुद्धिपत्र ने योजना के केवल 'अंश' प्रकाशित किए। दूसरा, श्री हुड्डा द्वारा किया गया निवेदन स्वीकार्य नहीं है जब उन्होंने तर्क दिया कि 'समाचार पत्रों' में योजना से संबंधित प्रस्ताव के प्रकाशन के बाद आपत्तियां आनी शुरू हो गईं क्योंकि अधिनियम की खंड 100 (1) के तहत, आधिकारिक राजपत्र में खंड 99 (1) के तहत नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर एक आक्षेपकर्ता द्वारा आपत्तियां दायर की जानी हैं। इसमें समाचार पत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख और उस तारीख से तीस दिनों की गिनती की बात नहीं की गई है। इसलिए, इस तर्क में कोई सार नहीं है और हमें इसे अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

(12) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, हम मानते हैं कि योजना, दिनांक 3.5.2011, जैसा कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, समाप्त हो गई है। उसी के अनुसार अलग रखा जाता है। हम अत्यंत सम्मान के साथ आगे कहते हैं कि परवीन कुमार के मामले (ऊपर) में खण्ड पीठ यह निर्धारित नहीं किया कि सही कानून क्योंकि इसमें अधिनियम की खंड 100 (4) के विभिन्न पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था। उस योजना के तहत दिए गए परमिट 30 अप्रैल, 2012 के बाद काम करना बंद कर देंगे। इस बीच राज्य सरकार खंड 99 (1) के प्रावधानों के अनुसार एक नई मसौदा योजना को अधिसूचित कर सकती है और अधिनियम की खंड 99 (2) के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी अनुमति दे सकती है। संदर्भ और रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। (13) इस आदेश की एक फोटोकॉपी सभी संबंधित याचिकाओं की फाइलों पर रखी जानी चाहिए।

जे. ठाकुर

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता । सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

gurvinder kaur